



दिनांक:-11.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.01.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **चन्द्रपाल उर्फ चन्द्रकान्त पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या-7326/2024 मु0अ0स0-15/1998 धारा 393 भादवि चालानी थाना सरसावा सहारनपुर में वारण्टी अभियुक्त को ग्राम झबीरन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

चन्द्रपाल उर्फ चन्द्रकान्त पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
2. है0का0 25 जयप्रकाश थाना सरसावा सहारनपुर।
3. का0 1497 मोनू कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।



दिनांक: 11.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा ट्रैक्टर से कुचकर महिला की हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.12.2024 को वादी श्री जगदीप पुत्र जयदेव निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1.काला पुत्र मामूदीन, 2. तासीन पुत्र मामूदीन, 3. वाजिद पुत्र मामूदीन व 4. तालिब पुत्र मामूदीन निवासी ग्राम पभारी थाना जठलाना जनपद यमुनानगर हरियाणा द्वारा वादी के साथ मारपीट कर जाने से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौच करने, वादी की माँ के ऊपर जानबूझकर ट्रैक्टर देने जिससे वादी की माँ की मृत्यु हो जाने तथा जान से मारने की नियत से वादी व वादी के चाचा के ऊपर भी ट्रैक्टर चढाने का प्रयास करने तथा वादी के चाचा सुखविन्दर को चोट आ जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 427/24 धारा 115(2)/352/351(3)/109/103(1)/3(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था। दिनांक 15.12.2024 को अभियुक्त काला उपरोक्त व दिनांक 23.12.2024 को अभियुक्त तालिब उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त वाजिद पुत्र मामूदीन उर्फ इमामूद्दीन निवासी ग्राम पोभारी थाना जठलाना जनपद यमुनानगर हरियाणा को ग्राम साल्हापुर अड्डे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त वाजिद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं व मेरे भाई 1.काला, 2. तासीम व 3. तालिब अपने ट्रैक्टर ट्राली से रेत ढोने का काम करते हैं। दिनांक 13.12.24 को भी दोपहर को जब हम लोग रेत ढो रहे थे तो हमें जगदीप अपने घर के सामने मिला और हमें वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाने से मना करने लगा, इसी बात को लेकर जगदीप के साथ हम भाईयों की कहासुनी व गाली गलौच शुरू हो गयी, शोर सुनकर जगदीप की माँ व चाचा भी वहाँ आ गये, आते ही धमकी देने लगे कि यहाँ से ट्रैक्टर निकालकर दिखा। इस पर हम भाईयों को भी गुस्सा आ गया और हमने अपने भाई काला से कहा कि काला चढ़ा इस महिला पर ट्रैक्टर तो मेरे भाई ने सामने खड़ी महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और हम लोग वहाँ से भाग गये। बाद में हमें पता चला कि वह महिला मर गई। गिरफ्तारी के डर से मैं पुलिस से छिपता फिर रहा था। आज भी मैं कहीं भागने की फिराक में ग्राम लतीफपुर से होता हुआ जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वाजिद पुत्र मामूद्दीन उर्फ इमामूद्दीन निवासी ग्राम पोभारी थाना जठलाना जनपद यमुनानगर हरियाणा

अभियुक्त वाजिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 510/2008 धारा 323/452/506 भादवि थाना नकुड़

2. मु0अ0सं0 164/23 धारा 2/3 सर्वाजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना नकुड
3. मु0अ0सं0 163/22 धारा 323/504/506 भादवि व 3 /4 D ACT महिला थाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 143/2015 धारा 307 भादवि, थाना ससावा सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 144/2015 धारा 3 /25 A ACT थाना ससावा सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 427/24 धारा 115(2)/352/351(3)/109/103(1)/3(5) भा0न्या0सं0 थाना नकुड सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 563 अमित कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
4. का0 2464 आकाश यादव थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।



दिनांक - 11.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए

01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी
मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.12.2024 को वादी श्री गौतम कुमार पुत्र फूलचन्द निवासी ईस्माईलपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल हीरो स्पेलन्डर UP 11BV 6019 रंग काला/सफेद को मंगलम अस्पताल के सामने बाजोरिया रोड से चोरी कर लेने जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 03/25 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त हिमांशु पुत्र सोमदत्त जाट निवासी गुलर वाली गली कस्बा व थाना तीतरो सहारनपुर हाल निवासी न्यू लक्ष्मीपुरम कालोनी गलिरा रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को एसबीडी अस्पताल के पीछे सरकारी ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटरसाइकिल बिना पहियों के बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल दिनांक 07.01.2025 को रात्रि में मंगलम अस्पताल के सामने बाजोरिया रोड से चोरी की थी। पैसे के लालच में मैंने मोटरसाइकिल के दोनो पहिये चलते-फिरते कबाड़ी को बेच दिये हैं। आज मैं इस मो0सा0 को किसी कबाड़ी को बैचने के लिये इस ट्यूवैल के पास लेकर बैठा हुआ था कि आपने मुझे मो0सा0 पकड लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हिमांशु पुत्र सोमदत्त जाट निवासी गुलर वाली गली कस्बा व थाना तीतरो, सहारनपुर हाल निवासी न्यू लक्ष्मीपुरम कालोनी गलिरा रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी की मोटर साइकिल (हीरो स्पेलन्डर रंग काला/सफेद रजि0 नं0 UP 11BV 6019)

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 46/24 धारा 420/465 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
- मु0अ0सं0 94/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 702/20 धारा /21 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. म0उ0नि0 सुमन चाहर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।
2. का0 2343 संदीप कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।
3. हो0गा0 470 गुरुचरण थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त राकेश पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम मेहरबानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 718/23 व मु0अ0स0 799/18 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272/273 भा0द0वि0 चालानी थाना को0 देहात में ग्राम मेहरबानी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

राकेश पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम मेहरबानी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांजा बेचने वाला 01 दुकानदार/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 21 चरखी लाल रंग चाइनीज मांजा व 18 कागज के बण्डल में लिप्टा काला चाइनीज मांजा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित चाइनीज मांजे की बिक्री/इस्तेमाल की रोकथाम हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांजे की बिक्री करने वाला 01 दुकानदार/अभियुक्त **जीशान पुत्र इस्लाम निवासी मौ० लहसवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को 21 चरखी लाल रंग चाइनीज मांजा व 18 कागज के बण्डल में लिप्टा काला चाइनीज मांजे के साथ कुटीर रोड से कस्बा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु०अ०सं०- 13/24 धारा 223/125 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जीशान पुत्र इस्लाम निवासी मौ० लहसवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 21 चरखी लाल रंग चाइनीज मांजा
- 18 कागज के बण्डल में लिप्टा काला चाइनीज मांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. है०का० 158 जितेन्द्र सिंह थाना देवबंद जिला सहारनपुर
3. है०का० 561 शमीम अहमद थाना देवबंद जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 11.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.01.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **ब्रह्मसिंह पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम मवीकला थाना सदर बाजार सहारनपुर** वाद स0 7359/24 मु0अ0स0 426/05 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को ग्राम मवीकला से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ब्रह्मसिंह पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम मवीकला थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. का0 2459 पवन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 327 मेहरबान थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 11.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चोरी का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 950/-रुपये नकद

बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05.01.2025 को वादी श्री राम सुरेश वर्मा पुत्र हरिराम वर्मा निवासी 12 सी/15 कृष्णा स्मार्ट कालोनी निकट बग्लामुखी मन्दिर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से 01 स्कूटी व 02 बैट्रे चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 07/2025 धारा 305(ए) बीएनएस पजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **आस मौहम्मद उर्फ आशू पुत्र महबूब निवासी नाजिम कालोनी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर** को पारसपुर कालोनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे 950/- रुपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आस मौहम्मद उर्फ आसू पुत्र महबूब निवासी नाजिम कालोनी थाना को0 मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 950/- रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 48/16 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 353/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 232/21 धारा 188/210 भा0द0वि0 व 3 महामारी अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 7/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 152 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 11.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.1.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा वारण्टी/एनबीडब्लू खालिद पुत्र नवाबुददीन निवासी मौ0 बडजियाउलहक थाना देवबन्द जिला सहारनपुर सम्बन्धित परिवाद सं0-2545/05 धारा /452/323/427/504/506 भादवि थाना देवबन्द के अनुपालन मे उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

खालिद पुत्र नवाबुददीन नि0 मौ0 बडजियाउलहक थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0श्री निरीक्षक राकेश पवार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. है0का0 655 कमलेश यादव थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. का0 234 अरुण कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक: 11.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले

अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 11.01.2025 को वादी श्री भगवत पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम पान्डोखेडी थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत कैन्टर (ट्रक) चालक धीरज पुत्र धर्मपाल निवासी राधा विहार कालोनी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर द्वारा कैन्टर को लापरवाही से चलाकर पुराना बस अड्ड कस्बा नानौता के पास वादी की पुत्री जो कक्षा 10 की परीक्षा देने जा रही थी को टक्कर मार देने जिसमें वादी की पुत्री की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 07/25 धारा 281/106(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.01.2025 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मु0अ0स0 07/25 धारा 281/106(1) बीएनएस में वांछित आरोपी **धीरज पुत्र धर्मपाल निवासी राधा विहार कालोनी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को रेलवे स्टेशन मोड निकट पुराना बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

धीरज पुत्र धर्मपाल निवासी राधा विहार कालोनी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0श्री अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 729 उपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर